न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 53/2023

अपीलांट– ***बनाम*** **रेस्पोडेंट–**

1. वेहनाराम पुत्र गेनाराम — तहसीलदार धोरीमन्ना
2. केहरी पत्नि जगमालराम

जाति जाट निवासी नया मुढसर पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 61 दिनांक 17.04.2023 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 27.05.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा ग्राम नया मूंढसर में खसरा नंबर 272 रकबा 4–6620 हैक्टैयर किस्म बा0 सो0 में से 0–0971 हैक्टैयर भूमि के समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 17.04.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा नया मूंढसर में खसरा नंबर 272 रकबा 4–6620 हैक्टैयर भूमि के खातेदारान वेहनाराम पुत्र गेनाराम, केहरी पुत्री जगमाल कौम [illegible] धोरीमन्ना ने दिनांक 17.04.2023 को तहसीलदार धोरीमन्ना [illegible] प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 0–0971 हैक्टैयर भूमि बा[illegible] राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया त[illegible]ट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। उक्त खातेदारान की पहचान हल्का पटवारी बोर चारणान द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से 0–0971 हैक्टैयर भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पहचान हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 61 दिनांक 17.04.2023 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.10.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी का खेत नया मूंढसर में खसरा नंबर 272 रकबा 4–6620 हैक्टैयर किस्म बा0 सो0 आया हुआ है। जिसमें अपीलांट्स कब्जा काश्त करते आ रहे है। 5 माह पूर्व कुछ लोगों ने अपीलांट के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर अपीलांट को बताया कि आपके खेत में घुसते ही सेढे–सेढे ले जायेंगे। इस पर परिवादी ने भरोसा कर खाली कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये। तत्पश्चात धोखे से अपीलांट को बिना बताये खेत के बीचों–बीच आलोच्य समर्पण द्वारा खसरा नंबर 272 के रूप में 0–0971 हैक्टैयर भूमि का समर्पण करवा दिया। लिहाजा अपीलाधीन आदेश अवैधानिक होने से उक्त आदेश खारिज फरमाने योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता [illegible] अपीलाधीन आदेश को पारित करने से पूर्व सरपंच ने अपीलां[illegible] मे रख कर उसके बिना हस्ताक्षर करवाये बिना [illegible]का आदेश पारित करवाकर नामान्तरकरण पारित करवा लिया। जब कुछ दिन पूर्व अपीलांट के घर की जगह जबरदस्ती रास्ता निकालने लगे तब अपीलांट के पुत्र ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जमाबंदी देखी तो अवैधानिक रास्तो की जानकारी होने पर दिनांक 22.09.2023 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर मयाद दर्ज करने का निवेदन किया गया है।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि कि मौजा नया मूंढसर में खसरा नंबर 272 रकबा 4–6620 हैक्टैयर भूमि के खातेदारान वेहनाराम पुत्र गेनाराम, केहरी पुत्री जगमाल कौम साकिन नया मुंढसर तहसील धोरीमन्ना ने दिनांक 17.04.2023 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 0–0971 हैक्टैयर भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया तथा प्रकट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। उक्त खातेदारान की पहचान हल्का पटवारी बोर चारणान द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से 0–0971 हैक्टैयर भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पहचान हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 61 दिनांक 17.04.2023 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.10.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी का खेत नया मूंढसर में खसरा नंबर 272 रकबा 4–662[illegible] हुआ है। अपीलांट के खातेदारी के खेत के बीचो बीच समर्पण [illegible] 50 [illegible] पुरानी ढाणी के उपर से रास्ता निकालना अनुचित [illegible] देने मे सहमत है परन्तु उतरदाता द्वारा बिना अपीलांट की बिना पूछे मनमर्जी से छल पूर्वक हस्ताक्षर कर गलत जगह तरमीम कर अपीलांट के कब्जा काश्त के दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

टुकडे कर पक्के घर व टांके की जगह रास्ता निकालना अनुचित व अवैध है। इसलिए अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर भूमि का नाप कर सेढे पर रास्ता निकाला जाना विधिसम्मत है। अतः अपीलांट को पूर्ण सहमति व हस्ताक्षर लेते हुए पुनः नाप कर सेढें पर रास्ता निकालने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उक्त आराजी वक्त समर्पण बैंक में रहन थी तथा बैंक से अनुमति नही ली न ही समर्पण पत्रावली में भूमि के दस्तावेज जमाबंदी पेश की गई खाता पर स्थगन था नाम गलत लिखा गया पत्नि को कहीं पुत्र तो कहीं पुत्री बना दिया। इसलिए पटवारी की रिपोर्ट अनुचित व अवैध होने से तथा रहन सुदा भूमि को समर्पण नहीं होने से अपास्त योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि मौजा नया मूंढसर में खसरा नंबर 272 रकबा 4–6620 हैक्टैयर किस्म बा0 सो0 में से 0–0971 हैक्टैयर समर्पण भूमि हेतु पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी बोर चारणान द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भूमि खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज हैं, मौके पर खाली है, उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं एवं न ही कोई वाद विचाराधीन है, किसी भी प्रकार से विवादग्रस्त नहीं हैं। उक्त भूमि पर लगान बकाया नहीं हैं। उक्त भूमि में रहन नहीं हैं। अतः इस भूमि को समर्पण हेतु स्वीकार किया जाना उचित हैं। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं खातेदार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2023 पारित किया गया। जिसमें अपीलांट स्वयं द्वारा सहमति प्रकट की गई है ऐसे में सहमति से भूमि समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध 6 माह बाद प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय के इस अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं होने से अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:33 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर